'एक जनपद-एक उत्पाद' की सौगात-स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार हुआ आसान

ओडीओपी समिट, 28 फरवरी, 2019 - आगरा

प्रदेश के 15 जिलों के उत्पाद-लेदर प्रोडक्ट्स, हस्तकला (हॉर्न-बोन), कांच के सामान, हस्तनिर्मित कागज शिल्प, जनजातीय शिल्प, शजर स्टोन शिल्प, गौरा स्टोन शिल्प, केला फाइबर उत्पाद, सॉफ्ट टॉय, सजावटी उत्पाद, जूते, इत्र, और बेडशीट का काम होता है। ये जनपद हैं - आगरा और कानपुर (चमड़ा उत्पाद); संभल (हस्तशिल्प- हॉर्न बोन); फिरोजाबाद (कांच का सामान); जालौन (हस्तनिर्मित कागज कला); लखीमपुर खीरी और श्रावस्ती (आदिवासी शिल्प); बांदा (शजर स्टोन क्राफ्ट); महोबा (गौरा स्टोन क्राफ्ट); कुशीनगर (केला फाइबर उत्पाद); झांसी (सॉफ्ट टॉयज); देवरिया (सजावटी उत्पाद); हमीरपुर (जूते); कन्नौज (इत्र/अत्तर) और फतेहपुर (बेडशीट) की समन्वित प्रस्तुति।

Advt.

एक जनपद एक उत्पाद
उत्तर प्रदेश

'एक जनपद-एक उत्पाद' कार्यक्रम के बहुआयामी लाभों के दृष्टिगत प्रदेश सरकार इसके सफल एवं प्रभावी क्रियान्वयन हेतु गंभीरता से प्रयास कर रही है। भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं जैसे : प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुद्रा योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना आदि के साथ 'एक जनपद-एक उत्पाद' कार्यक्रम का समन्वय करते हुये इस कार्यक्रम से जुड़े समस्त हितधारकों के साथ क्रियान्वयन के विविध पहलुओं पर विचार-विमर्श के अनुरुप विकास रणनीति के निर्धारण हेतु 'एक जनपद-एक उत्पाद' कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है।"

योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश

लेदर प्रोडक्ट, हस्तकला (हॉर्न-बोन), कांच का सामान, हस्तनिर्मित कागज कला, जनजातीय शिल्प, शजर स्टोन शिल्प, गौरा स्टोन शिल्प, केला फाइबर उत्पाद, सॉफ्ट टॉय, सजावटी उत्पाद, जूते, इत्र, और बेडशीट।

"राज्य में उपलब्ध विशाल मानव संसाधान, परम्परागत कारीगरों की कुशलता तथा प्रत्येक जनपद के उत्पादों की विशिष्टता प्रदेश के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान हेतु अपार संभावनाएँ परिलक्षित करती है। इस क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा एवं मार्ग-दर्शन से प्रदेश के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से 'एक जनपद-एक उत्पाद' कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन, उत्पाद विकास हेतु वित्त पोषण, प्रशिक्षण, तकनीकी सहयोग, विपणन सुविधाएँ आदि उपलब्ध कराते हुए राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रांड उत्तर प्रदेश को स्थापित करना है। इसके क्रियान्वयन से न केवल प्रदेश में रोजगार सृजन एवं लोगों की आय एवं क्रय शक्ति में वृद्धि होगी बल्कि राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश की प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी।"

सत्यदेव पचौरी
मंत्री, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग एवं खादी ग्रामोद्योग, रेशम, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उत्तर प्रदेश

चमड़ा उत्पाद एवं जूते

उत्तर प्रदेश के आगरा और कानपुर जनपद अपने चमड़े के काम के लिए लोकप्रिय हैं। फुटवियर, बेल्ट, बैग सहित कई तरह के चमड़े के उत्पाद यहां बनाए जाते हैं। कच्चा माल मुख्य रूप से कानपुर, कोलकाता, चेन्नई, ताइवान और चीन से आयात किया जाता है। इस काम में मुख्य रूप से, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमी लगे हुए हैं। वर्तमान में, चप्पड़ उद्योग के विकास के लिए, ASIDE योजना के तहत, दिल्ली-आगरा नेशनल हाईवे पर एक परीक्षण लैब और डिजाइन स्टूडियो की परियोजना पर काम चल रहा है।

आगरा और कानपुर की भांति, उत्तर प्रदेश का हमीरपुर जिला भी चमड़े के काम में संलग्न है। यहाँ हस्तनिर्मित चमड़े के जूते का उत्पादन किया जाता है।

हस्तनिर्मित कागज कला और केला फाइबर उत्पाद

उत्तर प्रदेश का जालौन जनपद बेकार कागज और कपड़े से हस्तनिर्मित कागज बनाने के लिए प्रसिद्ध है। इस उत्पाद का उपयोग मुख्यतः कार्यालय फाइलें बनाने, बैग बनाने, सोखने वाले कागजात बनाने, और विजिटिंग कार्ड बनाने के लिए किया जाता है। इसी तरह, उत्तर प्रदेश का कुशीनगर जनपद केले फाइबर से बने उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। केला फाइबर, एक प्राकृतिक फाइबर है जिससे चटाई, कैरी-बैग, फिलामेंट और जैविक खाद जैसी वस्तुएँ बनाई जाती हैं।

कांच के सामान

उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद जनपद कांच के सामान बनाने के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ कांच से बने सामान पारंपरिक रूप से 'माउथ-ब्लोइंग' तकनीक द्वारा बनाये जाते हैं। फिरोजाबाद के प्रमुख कांच के उत्पादों में लालटेन, झूमर, बरतन और विभिन्न सजावटी सामान शामिल हैं। इस उद्योग में जनपद के लगभग 20,000 कारीगर सीधे कार्यरत हैं।

बेडशीट

उत्तर प्रदेश का फतेहपुर जनपद बेडशीट के उत्पादन के लिए जाना जाता है। बेडशीट के साथ तौलिए और जींस के कपड़े जैसे उत्पादों का निर्माण करती हैं।

इत्र

उत्तर प्रदेश का कन्नौज जनपद इत्र के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कन्नौज का इत्र विश्व में सबसे अच्छे इत्र में से एक माना जाता है। इस इत्र की विशेषता यह है कि यह प्राकृतिक है, ज्यादातर मामलों में जैविक उत्पादों से बनाया जाता है, और पारंपरिक तकनीक से बनाया गया है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इत्र की बढ़ती मांग को देखते हुए, कन्नौज में स्थानीय किसान पारंपरिक फसलों से सुगंधित आवश्यक तेल उत्पादों की खेती की ओर आकर्षित हुए हैं।

ट्राइबल क्राफ्ट

उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी जिला अपने आदिवासी शिल्प के लिए प्रसिद्ध है जिसमें अन्य उत्पादों के अलावा हस्तनिर्मित वस्त्र, कागज, प्लांट फाइबर शामिल हैं। मुख्य रूप से, जिले की थारू जनजाति पारंपरिक शिल्प बनाने के काम में लगी हुई है।

सॉफ्ट टॉयज और डेकोरेटिव प्रोडक्ट्स

उत्तर प्रदेश का झांसी जनपद सॉफ्ट टॉयज के लिए जाना जाता है। वर्तमान में, झांसी में लगभग 50 से अधिक सॉफ्ट टॉय मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं जो मुख्य रूप से देश के घरेलू बाजार पर केंद्रित हैं। इन खिलौनों को कई अलग-अलग रूपों में बनाया जाता है, जो अक्सर वास्तविक जानवरों, कार्टून चरित्रों या निर्जीव वस्तुओं से प्रभावित होते हैं।

झांसी की भांति, देवरिया जनपद में भी सजावटी उत्पादों जैसे घर के सामानों पर बुनाई और कढ़ाई का काम और अन्य सजावटी सामान जैसे झूमर, झालर, और पर्दे के लिए प्रसिद्ध है। इन उत्पादों को स्थानीय बाजारों के साथ-साथ देश के अन्य हिस्सों में भी बिक्री के लिए भेजा जाता है।

शजर स्टोन क्राफ्ट और गौरा स्टोन क्राफ्ट

उत्तर प्रदेश का बांदा जनपद अपने अद्वितीय शजर स्टोन क्राफ्ट के लिए प्रसिद्ध है। इस कला में शजर पत्थर का उपयोग आभूषण और अन्य सजावटी सामान बनाने के लिए किया जाता है।

इसी तरह, उत्तर प्रदेश का महोबा जिला अपने उत्तम गौरा स्टोन क्राफ्ट के लिए विश्व स्तर पर जाना जाता है। यह स्टोन क्राफ्ट पत्थर पर किया जाता है जो बनावट में नरम है। गौरा पत्थर का प्राथमिक उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है।

हस्तशिल्प- हॉर्न बोन

उत्तर प्रदेश का संभल जनपद अपने सींग-हड्डी हस्तकला उत्पादों के लिए जाना जाता है। इन शिल्प वस्तुओं को बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला कच्चा माल मृत पशुओं से प्राप्त किया जाता है जो इस उद्योग को पर्यावरण के अनुकूल बनाता है। सजावटी सींग-हड्डी की हस्तशिल्प की एक विस्तृत श्रृंखला विभिन्न डिजाइनों और पैटर्न में उपलब्ध है। ये उत्पाद न केवल भारत में प्रसिद्ध हैं, बल्कि दुनिया भर में निर्यात किए जाते हैं।

प्रमुख योजनाएं जिनके अन्तर्गत ओडीओपी हस्तशिल्प/कारीगर/ उद्यमी लाभ उठा सकते हैं

1. **ओडीओपी मार्जिन मनी योजना** – परियोजना आकार के आधार पर 20 लाख तक की सब्सिडी।
2. **ओडीओपी बाजार विकास सहायता (एमडीए) योजना** – इसका उद्देश्य राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेने वाले कारीगरों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। ई-मार्केटिंग के साथ-साथ स्टाल शुल्क, हवाई टिकट, आवागमन और माल ढुलाई शुल्क की ओर 75% तक की सब्सिडी का प्रावधान है।
3. **ओडीओपी 'सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी)' योजना** – इसका उद्देश्य राज्य के प्रत्येक जिले में सीएफसी विकसित करना है। सीएफसी के माध्यम से कच्चे माल का गोदाम; डिजाइन स्टूडियो; पैकेजिंग, विपणन और प्रदर्शन केंद्र और प्रशिक्षण जैसी सुविधाएँ प्रदान की जाएंगी। सीएफसी विकसित करने के लिए 90% तक (परियोजना लागत का) की सब्सिडी का प्रावधान है। सीएफसी एसपीवी रूट के माध्यम से विकसित किये जाएँगे।
4. **विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के साथ ओडीओपी का क्रमवेशन (Dovetailing)** – योजना का उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों/श्रमिकों को प्रशिक्षण और उपकरण उपलब्ध कराना है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत, ओडीओपी शिल्पकार अपने शिल्प के टूलकिट के साथ-साथ, 6 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त करने के भी पात्र होंगे।
5. **अन्य योजनाएं** – प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), मुख्यमंत्री स्व-रोजगार सृजन कार्यक्रम (सीएमईजीपी), एमएसएमई ऋण, पीएसबी-59 ऋण एवं अन्य योजनाओं के साथ (डबटेलिंग)।